निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 08/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

अजय उर्फ शिवपाल पुत्र स्व. श्री रामदेव जाति बलाई, निवासी ग्राम सीसयावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री लक्ष्मीकान्त कटारा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर)
2 श्रीमती सुमन देवी पत्नी रमेश वर्मा जाति बलाई, निवासी ग्राम चंदवाजी, पीलवा रोड, जिला जयपुर।
3 कन्हैयालाल पुत्र श्री नाथू बैरवा निवासी काली डूंगरी की ढाणी, ग्राम बैनाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
4 भैरू राम पुत्र श्री चैनाराम कालबेलिया निवासी ग्राम बनेडिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
5 मोहन लाल पुत्र नगजीराम जाति खटीक निवासी ग्राम बनेडिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
6 शंकर पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी 14 करेडा बुजुर्ग, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
7 हीरालाल पुत्र श्री किशना जाति बलाई निवासी ग्राम बनेडिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
8 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 80/2021 ब उनवानी अजय उर्फ शिवपाल बनाम सुमन को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी रामजीलाल वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री गौरव शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28.02.2022

1. संक्षिप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 80/2021 ब उनवानी अजय उर्फ शिवपाल बनाम सुमन दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी के पिता रामदेव के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु प्रार्थी के पिता रामदेव के लापता हो जाने के कारण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम–35 जयपुर महानगर मुख्यालय आमेर, जयपुर की अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 10.03.2017 से मृत घोषित किया जा चुका है। इस आधार पर प्रार्थी मृतक रामदेव का विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है तथा प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु सक्षम है । उक्त वाद में अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थना पत्र बाबत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी ने गैर कानूनी रूप से मंजूर कर दिया। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 ने एक फर्जी इकरारनामा तैयार कर लिया जिसके आधार पर कोई हक व अधिकार नहीं मिलते । इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 3 ने मान्य न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा आगामी पेशी पर प्रार्थी का जवाब बन्द कर दिया । जबकि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की नकल भी जवाब बन्द करने के बाद दी गई तथा अब प्रार्थी संख्या 1 के दावे को भी खारिज करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रार्थी के प्रकरण को अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी न्याय से वंचित हो जावेगा । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते भी देखा है। जिससे प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष मे उक्त प्रकरण का निर्णय करने पर आमदा है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी का व्यवहार व उनके द्वारा शीघ्र फैसला करने के तथ्यों से प्रार्थी को ऐसा अन्देशा हो रहा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 3 से मिल गये है और प्रकरण मे प्रार्थी का न्याय मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। .इस कारण यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी का यह कथन असत्य है कि उसे आदेश 1 नियम 10 सीपीसी जिसका वादी द्वारा जबाब दिनांक 10.11.2021 को प्रस्तुत किया जाने के तत्पश्चात ही दिनांक 15.11.2021 को वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनने कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। आदेश 7 नियम 11 की प्रति वादी के अधिवक्ता को उपलब्ध करा दी गई है। जबाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सुनी जा चुकी है। प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरीना कर रहा है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर जवाब प्राप्त होने के पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर निस्तारित किया जाना पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में अवगत कराया है। आदेश 7 नियम 11 सी पी सी की प्रति भी प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी ने छोटी–छोटी तारीख पेशी दिये जाने

जिला कलक्टर
जयपुर

के कारण केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है।

8. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति हस्य कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रोशन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर